

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक-01 / 02/2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत शिवहर जिला के पुराने अस्पताल को मातृ शिशु अस्पताल के रूप में विकसित करते हुए अस्पताल को संचालित करने हेतु विभिन्न कोटि के आवश्यक कुल 31 (एकतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

राज्य की जनता को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील एवं कृत संकल्पित है। इसी क्रम में सदर अस्पताल, शिवहर को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में सरोजा सीताराम सदर अस्पताल के मानव बल को देखते हुए पुराने अस्पताल को मातृ शिशु अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2. इसी क्रम में विभागीय आदेश संख्या-642(10), दिनांक--06.10.2018 से निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा पत्रांक-138/नि०प्र०(रो०नि०) को०, दिनांक-29.10.2018 के द्वारा अनुशंसा किया गया है कि इस अस्पताल को 24x7 के रूप में संचालित करते हुए वाह्य चिकित्सा सेवा एवं इमरजेंसी आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मातृ शिशु अस्पताल, शिवहर में विभिन्न कोटि के आवश्यक पद सृजित किया जाय।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद संख्या-2001/2016 शिशिर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गयी है।

4. समिति द्वारा अनुशंसित मातृ शिशु अस्पताल, शिवहर को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न कोटि के आवश्यक पदों की विवरणी निम्नवत् है:-


| क्र० सं० | पदनाम | सृजित होने वाले पदों की संख्या | वेतन स्तर |
|----------|--|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वरीय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | 1 | Level-11 |
| 2 | (शिशु रोग विशेषज्ञ-2 स्त्री रोग विशेषज्ञ-2) | 4 | Level-11 |
| 3 | जी०एन०एम० | 6 | Level-7 |
| 4 | स्वास्थ्य प्रबंधक | 1 | Level-6 |
| 5 | फार्मासिस्ट | 1 | Level-5 |
| 6 | प्रयोगशाला प्रवैधिकी | 1 | Level-5 |
| 7 | ए०एन०एम० | 10 | Level-4 |
| 8 | निम्नलिपिक लिपिक/लेखापाल/स्टोर कीपर | 3 | Level-2 |
| 9 | कक्ष सेवक (पुरुष-2, महिला-2) | 4 | Level-1 |
| | कुल- | 31 | |

①

दो डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं दो सफाई कर्मी की सेवा वाह्य स्रोत से ली जाएगी, जिसके मानदेय का भुगतान संविदा सेवायें मद से की जाएगी।

5. इस मद में अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 1,53,91,920/- (एक करोड़ तिरपन लाख एकानवें हजार नौ सौ बीस रुपये) संभावित है।
6. भारित राशि का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100013 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
7. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, शिवहर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
9. इन पदों के सृजन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
10. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव।




ज्ञापांक:- 1031(10)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 01/02/2019

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.01.2019 में मद संख्या-06 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, शिवहर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, शिवहर/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,4,6 एवं 7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

